बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना)

प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 शेखपुरा (आवास)–50 / 2013–अधिघोषणा रा0, पटना–15 दि0–...... / ...... / 2013

अधिघोषणा सं0 – 2887 / रा0 दिनांक – 12 – 12 – 13 /

चुँकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– कमासी, परगना–मालदह , थाना सं0 –177 जिला –शेखपुरा में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु पुलिस उपाधीक्षक शेखपुरा का आवास / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय एवं पुलिस निरीक्षक शेखपुरा अंचल का कार्यालय–सह–आवास के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम–कमासी के भीतर भूमि का भू–अर्जन अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.37½ एकड़ के बराबर होता है। जो भूखण्ड अपेक्षित है उसका खेसरा सं0 एवं चौहदी निम्न प्रकार है :–

खेसरा अनुसूची

पूर्ण सर्वे क्षेत्र सं0 – 595 = 01 खेसरा

अंश सर्वे क्षेत्र सं0 – 592,593,594,596,597,602,603,604,610 = 09 खेसरा

कुल 10 खेसरा

सीमा अनुसूची
चौहदी

उत्तर – खेसरा नं0– 592, 596, 597, 599, 602

दक्षिण – खेसरा नं0– 610

पुरब – खेसरा नं0– 602, 603, 604, 610

पश्चिम – सड़क

समाहर्त्ता
शेखपुरा।

कृ0 पृ0 उ0

यह अधिघोषणा भू–अर्जन 1–1984 की धारा –6 बिहार संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबंधो के अधीन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी , शेखपुरा के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०

सरकार के अवर सचिव,

समाहर्त्ता
शेखपुरा।

ज्ञापांक – 2887/रा०/ **दिनांक** –12–12–13/

प्रतिलिपि :1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ। प्रकाशन उपरान्त समाचार की प्रतिलिपि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को प्राप्त कराने की कृपा की जाए।

2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. समाहर्त्ता शेखपुरा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।
4. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट , शेखपुरा को जिला गजट के आगामी अंक मे प्रकाश्नार्थ।

सरकार के अवर सचिव,

2/ Disk E/Bhuarjan/2013/August-september /Kamase4or6